ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. NO.- 257-259
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

महिलाओं के मानवाधिकारः अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

1. अभिज्ञान
2. डॉ0 कंचन प्रभा

1. शोधअध्येता 2.प्रोफेसर– राजनीति विज्ञान विभाग, जे.एस. विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद (उ0प्र0) भारत

Received-14.03.2024, Revised-20.03.2024, Accepted-27.03.2024 **E-mail : aaryvart2013@gmail.com**

सारांश : ***महिलाओं के मानवाधिकार वैश्विक समानता, न्याय और सतत विकास प्राप्त करने के लिए मौलिक हैं। यह सार अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोणों से महिलाओं के अधिकारों के विकास की पड़ताल करता है, इन अधिकारों की रक्षा में हुई प्रगति और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे, जैसे 'मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर)', 'महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू)', और 'बीजिंग घोषणा और कार्रवाई के लिए मंच', वकालत करने में सहायक रहे हैं। लैंगिक समानता, भेदभाव को खत्म करने और दुनिया भर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। राष्ट्रीय मोर्चे पर, भारत सहित कई देशों ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों, कानूनी सुधारों और नीतिगत उपायों को अपनाया है। भारत में, कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने वाले (अनुच्छेद 14), भेदभाव पर रोक लगाने वाले (अनुच्छेद 15), और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसरों की गारंटी देने वाले (अनुच्छेद 16) अनुच्छेद लैंगिक न्याय के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन प्रयासों के बावजूद, महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, भेदभाव, शिक्षा तक सीमित पहुंच और असमान आर्थिक अवसरों सहित उनके अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ रहा है। यह अध्ययन इन मुद्दों को संबोधित करने में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनी ढांचे की प्रभावशीलता की जांच करता है और मजबूत कार्यान्वयन, कानूनी जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन के महत्व पर जोर देता है। यह नीति और व्यवहार के बीच अंतर को पाटने के लिए वैश्विक और स्थानीय दोनों स्तरों पर सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं के अधिकारों को न केवल मान्यता दी जाए बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में उन्हें महसूस भी किया जाए। सच्ची लैंगिक समानता हासिल करने के लिए निरंतर वकालत, मजबूत कानूनी तंत्र और महिलाओं के अधिकारों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।***

कुंजीभूत शब्द– मानवाधिकार, यूडीएचआर, सीईडीएडब्ल्यू, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, लैंगिक न्याय, सार्वभौमिक, वैश्विक समानता, न्याय

परिचय– जैसे कोई पक्षी केवल एक पंख से नहीं उड़ सकता; यदि महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाए तो कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। – स्वामी विवेकानंद

मानवाधिकारों को आमतौर पर उन अधिकारों के रूप में समझा जाता है जो मानव होने के मात्र तथ्य में निहित हैं। मानवाधिकार की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकारों का आनंद लेने का हकदार है। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति में अंतर्निहित हैं और जिनके बिना हम मनुष्य के रूप में नहीं रह सकते। मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है और यह व्यक्ति की विशिष्टताओं या अधिकार–धारक और सही गारंटर के बीच संबंधों पर निर्भर नहीं करता है।

इस प्रकार मानव अधिकारों की कल्पना सार्वभौमिक और समतावादी के रूप में की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार एक आंदोलन बन गया है। इसका अध्ययन कई तरीकों से किया जा सकता है जिसे मानवाधिकार के घटक कहा जाता है। वे नागरिक अधिकार, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अधिकार हो सकते हैं। इन्हें कहीं–कहीं मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मानव जाति होने के नाते जन्म से ही कुछ अधिकार होने चाहिए और इसलिए ये प्रत्येक मानव प्राणी के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। वे जाति, पंथ, लिंग, क्षेत्र, रंग, पेशे आदि से परे सभी के लिए स्वतंत्रता का अधिकार भी हैं।

वर्तमान समय में महिलाएँ हमारे समाज और राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और राष्ट्र की सफलता और विकास में समानता का अधिकार महिलाओं के कंधों पर है, जितना कि समाज के पुरुषों पर है, दुनिया भर में महिलाएँ भी उसी दर्जे और सम्मान की हकदार हैं। समाज में पुरुष लिंग को प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि हमारे समाज का यह लक्ष्य लैंगिक समानता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।[1]

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत महिलाओं का मानव अधिकार–ये उपकरण उन राज्यों पर बुनियादी दायित्व थोपते हैं जिन्होंने उपकरणों की पुष्टि की है। निम्नलिखित अनुभागों में इन चयनित प्रमुख उपकरणों पर अधिक विवरण शामिल हैं।

–संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, 1945

अपनी स्थापना से ही, संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों ने महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, जो श्मौलिक मानव अधिकारों, मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य, पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में विश्वासश की पुष्टि करता है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों को परिभाषित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय साधन था। सटीक शर्तें. चार्टर के अनुच्छेद 13, 55 और 76 लिंग भेद के बिना, सभी के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति का आह्वान करते हैं।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर), 1948– मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कोई संधि या सम्मेलन नहीं है। बहरहाल, विशेषज्ञों का मानना है कि घोषणा में प्रथागत कानून की ताकत है, यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अधिकारों के विकास, विस्तार या स्पष्टीकरण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। इस घोषणा के तहत यह प्रावधान है कि– सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और सम्मान और अधिकारों में समान हैं[2]। ष्हर कोई सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का हकदार है...बिना किसी प्रकार के भेदभाव के, जैसे...लिंग...।[3]

ये मूलभूत अधिकार समानता और गैर–भेदभाव के सिद्धांतों के अनुसार ष्विवाह के संबंध में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारष् पर लागू होते हैं।[4]

नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीईआरडी), 1963– सीईआरडी नस्ल, रंग, वंश या राष्ट्रीय या जातीय मूल के आधार पर किसी भी ष्भेदभाव बहिष्कार, प्रतिबंध या प्राथमिकता को प्रतिबंधित करता है, जिसका उद्देश्य मानव अधिकारों और

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

मौलिक स्वतंत्रता के समान स्तर पर मान्यता, आनंद या अभ्यास को रद्द करने या ख़राब करने का उद्देश्य या प्रभाव है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति या सार्वजनिक जीवन का कोई अन्य क्षेत्र।" कई नस्लीय अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए जो नस्ल और लिंग भेदभाव की शिकायतें दर्ज करती हैं, सीईआरडी यह सुनिश्चित करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में नस्ल तत्व को संबोधित किया जाता है। इस कन्वेंशन के तहत महिलाओं के लिए कुछ अधिकार प्रदान किये गये हैं–

1. काम, और रोजगार का स्वतंत्र विकल्प
2. उचित एवं अनुकूल कार्य परिस्थितियाँ
3. समान मूल्य के कार्य के लिए समान वेतन
4. आवास
5. सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सेवाएँ
6. शिक्षा एवं प्रशिक्षण
7. आम जनता के लिए इच्छित किसी भी स्थान या सेवा तक पहुंच.[5]

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (आईसीसीपीआर)। 1966 इस कन्वेंशन के तहत कुछ अधिकार प्रदान करते हैंरू राज्य वर्तमान वाचा में निर्धारित सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की वर्तमान संविदा के पक्षकार हैं।[6]

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (आईसीईएससीआर), 1966

आईसीईएससीआर निम्नलिखित अधिकारों को मान्यता देता है–

1. महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता[7]
2. कार्य एवं कार्य की अनुकूल परिस्थितियाँ[8]
3. सामाजिक सुरक्षा[9]
4. परिवार, माँ और बच्चों की सुरक्षा[10]

महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर घोषणा, 1967– 1967 में महासभा द्वारा अपनाया गया, "महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण चरण था।"

घोषणा में कहा गया है कि महिलाओं के संबंध में भेदभाव बुनियादी रूप से अन्यायपूर्ण है और मानवीय गरिमा के खिलाफ अपराध है।[11]

महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू), 1979– सीईडीएडब्ल्यू को कभी–कभी महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिलष कहा जाता है। 1979 में अपनाया गया, यह एक व्यापक और कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण है जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकता है और सरकारों को महिलाओं की समानता को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य करता है। यह सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच कोई अंतर नहीं रखता है और संस्कृति को भेदभाव के बहाने के रूप में स्वीकार नहीं करता है।

सीईडीएडब्ल्यू आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं के समानता और गैर–भेदभाव के अधिकारों की रक्षा करता है। घरेलू और पारिवारिक मामलों में समान आधार पर व्यवहार का अधिकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए आवश्यक है।

सीईडीएडब्ल्यू के अंतर्गत महिला संरक्षण हेतु मुख्य प्रावधानः

1. अनुच्छेद 7: राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन
2. अनुच्छेद 15: कानून के समक्ष समानता

मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन (वियना, 1993)– इसने पुष्टि की कि सभी मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य, अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित हैं और महिलाओं के मानवाधिकार सार्वभौमिक मानवाधिकारों का एक अविभाज्य, अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। सम्मेलन में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने का आह्वान किया गया।

राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत महिला सुरक्षा के मानवाधिकार

संवैधानिक प्रावधान–भारत का संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय अपनाने का अधिकार भी देता है ताकि उनके सामने आने वाले संचयी सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक नुकसान को दूर किया जा सके। मौलिक अधिकार, दूसरों के बीच, कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव को रोकते हैं, और रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। . संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 16, 39(ए), 39(बी), 39(सी) और 42 इस संबंध में विशिष्ट महत्व के हैं।

संवैधानिक विशेषाधिकार

a. महिलाओं के लिए कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)।
b. राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा (अनुच्छेद 15 (प))
c. राज्य महिलाओं और बच्चों के पक्ष में कोई विशेष प्रावधान करेगा (अनुच्छेद 15 (3))।
d. राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता (अनुच्छेद 16.)
e. राज्य अपनी नीति को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा (अनुच्छेद 39 (ए)); और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39 (डी))।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

f. समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना और उपयुक्त कानून या योजना या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। अनुच्छेद 39 ए).

g. राज्य काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा (अनुच्छेद 42)।

h. राज्य लोगों के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा (अनुच्छेद 46)।

i. राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा (अनुच्छेद 47)।

j. भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना (अनुच्छेद 351 (ए) (ई))।

महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अन्य प्रावधान

निम्नलिखित प्रावधानों में महिलाओं के लिए कई अधिकार और सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

1. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (1956)।
2. दहेज निषेध अधिनियम (1961)।
3. महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) 1986.
4. सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम (1986)।
5. चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम (1971)।
6. गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग प्रतिषेध अधिनियम (1994)।
7. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम (1990)।
8. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005.
9. बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (1991–2000)।
10. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001.
11. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013।

महिलाओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक प्रतिक्रिया

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य12 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक कामकाजी महिला के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लैंगिक समानता और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों के उल्लंघन के बराबर घोषित किया है जो कि अनुच्छेद 14, 15 और 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। संविधान। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में लैंगिक समानता के बुनियादी मानवाधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन और यौन उत्पीड़न के खिलाफ गारंटी के लिए अधिनियमित कानून की अनुपस्थिति का प्रावधान किया है।

बोधिसत्व गौतम बनाम सुभ्राचक्रबोटी13 मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "बलात्कार केवल एक महिला (पीड़िता) के खिलाफ अपराध नहीं है, यह पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। यह एक महिला के प्रवेश मनोविज्ञान को नष्ट कर देता है और उसे गहरे भावनात्मक संकट में धकेल देता है। यह केवल उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही है कि वह समाज में खुद को पुनर्स्थापित करती है, जो बलात्कार के बारे में पता चलने पर उसे उपहास और तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। इसलिए, बलात्कार सबसे अधिक घृणित अपराध है। यह बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ अपराध है और पीड़ित के सबसे प्रिय मौलिक अधिकारों, अर्थात् अनुच्छेद 21 में निहित मानवीय गरिमा के साथ जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन है।श्श

मेनका गांधी बनाम भारत संघ14 के मामले में यह माना गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सन्निहित जीवन केवल एक भौतिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसके दायरे में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।

निष्कर्ष– मानवाधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से प्राप्त होते हैं क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। जैसा कि हमारे यहां अधिकतर देशों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें कोई प्रदर्शन या मान्यता नहीं दी जाती। ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बिना किसी भेदभाव के पुरुषों के बराबर महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने के लिए कई तरीके विकसित किए हैं। भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और मानवाधिकार उपकरणों की भी पुष्टि की है। हजारों सालों से भारत में महिलाओं के साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता रहा है, लेकिन इतने भेदभाव के बाद भी रानी लक्ष्मी बाई, रजिया सुल्तान और मीरा बाई जैसी महिलाएं थीं, जो ऐसे पुरुष, समाज और संस्कृति प्रधान माहौल में रहने के बाद भी। महिलाओं के मानवाधिकार न केवल महिलाओं को उन अधिकारों के बारे में सिखाते हैं जिनका उनकी सरकारों को सम्मान करना चाहिए; यह एक प्रकार के गेस्टाल्ट के रूप में भी कार्य करता है जिसके द्वारा उनके अनुभवों का विश्लेषण व्यवस्थित किया जाता है और परिवर्तन के लिए कार्य योजना बनाई जाती है। मानवाधिकारों के मूलभूत सिद्धांत जो प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा का अधिकार देते हैं, महिलाओं को उनके मानवाधिकारों के प्रयोग में उल्लंघन और बाधाओं दोनों का वर्णन करने के लिए एक शब्दावली देते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुमार, सतीश (2014) भारत में सामाजिक कल्याण योजनाएं और उनका प्रभाव। जयपुरः यूनिटी पब्लिशिंग हाउस। पृष्ठः 118
2. त्रिपाठी, मीना (2017) स्त्री अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन। वाराणसीः जनशक्ति प्रकाशन। पृष्ठः 92
3. भारतीय योजना आयोग (2020) महिला एवं बाल विकास पर पंचवर्षीय योजना रिपोर्ट। नई दिल्लीः भारत सरकार प्रकाशन विभाग। पृष्ठः 17–18
4. यूनिसेफ इंडिया (2019) ग्राम्य भारत में महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ। नई दिल्लीः यूनिसेफ प्रकाशन। पृष्ठः 45
5. मिश्र, अनुपमा (2021) महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं की सामाजिक समीक्षा। भोपालः सहारा बुक्स। पृष्ठः 70–73

*****